

राजस्थान सरकार
कार्यालय जिला कलक्टर, झुंझुनू

दिनांक :-

क्रमांक :- एफ 1(6)(1)rpssc/नियुक्ति/स्था0/13-पार्ट II
निमित्त :-

1. श्री सन्दीप कुमार पुत्र श्री दयानन्द, गांव पोस्ट - नांद, तहसील मलसीसर, जिला झुंझुनू ।
2. श्री प्रदीप कुमार पुत्र श्री अमरचन्द, विडदी चन्द के कुए के पास, वार्ड नंबर 42, मण्डेला रोड़, तहसील व जिला झुंझुनू।
3. श्री अनिल नायक पुत्र श्री ईश्वर लाल नायक, वार्ड नं. 11 खेतड़ी जिला झुंझुनू।
4. श्री उम्मेद सिंह पुत्र श्री पूर्ण मल, गांव पोस्ट खेदड़ो की ढाणी, गुढा गौडजी, तहसील उदयपुरवाटी, जिला झुंझुनू।
5. रिचा मीणा पुत्री श्री राजेन्द्र प्रसाद मीणा, वार्ड न. 03, मीणा मोहल्ला, टीवा बसई, तहसील खेतड़ी जिला झुंझुनू।
6. पूनम कुमारी पुत्री श्री रामधन, गांव गोवला, तहसील चिड़ावा, जिला - झुंझुनू।
7. श्री राकेश कुमार मीणा पुत्र श्री कन्हैया लाल मीणा, गांव पोस्ट कोटड़ी, तहसील खण्डेला, जिला सीकर।
8. पिकी मीणा पुत्री श्री सुरेश कुमार मीणा, गांव पोस्ट- सिरियासर कलां, तहसील व जिला झुंझुनू।
9. श्री अनिल कुमार महावर पुत्र श्री गोपाल महावर, वार्ड नंबर 17 शीतला माता मन्दिर के पास, रिंगस जिला सीकर।
10. श्री नितेश मीणा पुत्र श्री लाल चन्द मीणा, नियर बुहाना मोड़ सिंघाना तहसील बुहाना जिला झुंझुनू।

विषय :- कनिष्ठ लिपिक संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा, 2018 में चयनित अभ्यर्थियों के मूल दस्तावेज सत्यापन/जांच के संबंध में।

प्रसंग :- प्रशासनिक सुधार (अनुभाग-3) विभाग का पत्र क्रमांक:प.1(2)प्र0सु0/ अनु-3/2020 दिनांक 16.05.2020।

उपरोक्त विषयान्तर्गत सन्दर्भित पत्र के क्रम में लेख है कि शासन उप सचिव, प्रशासनिक सुधार (अनुभाग-3) विभाग सचिवालय जयपुर द्वारा राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर द्वारा आयोजित कनिष्ठ भर्ती परीक्षा -2018 में आपका चयन होने उपरान्त कार्यालय जिला कलक्टर, झुंझुनू आवंटित किया गया है। राजस्थान सेवा नियम एवं राजस्थान अधीनस्थ कार्यालय लिपिक वर्गीय सेवा नियम 1999 के प्रावधानों के अन्तर्गत नियुक्ति देने से पूर्व निम्नानुसार दस्तावेजों की मूल एवं सत्यप्रति सहित दिनांक 26.05.2020 से 28.05.2020 तक कार्यालय समय में कार्यालय जिला कलक्टर, झुंझुनू में उपस्थित होवें-

1. शैक्षणिक योग्यता, आयु व अन्य किसी छुट (जैसे अजा/अजजा/ओबीसी/विकलांग) के संबंध में आवश्यक मूल प्रमाण पत्र।
2. कम्प्यूटर योग्यता संबंधी प्रमाण पत्र।
3. विवाह संबंधी शपथ पत्र/ विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र/ दो से अधिक संतान नहीं करने संबंधी घोषणा का शपथ पत्र।
4. धूमपान नहीं करने संबंधी एवं दहेज नहीं लेने संबंधी घोषणा का शपथ पत्र।
5. पुलिस अधीक्षक द्वारा जारी चरित्र प्रमाण पत्र।
6. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा जारी स्वास्थ्य प्रमाण पत्र।
7. आय उदघोषणा पत्र।
8. अन्तिम शैक्षणिक संस्थान का चरित्र प्रमाण-पत्र।
9. दो राजपत्रित अधिकारियों से प्राप्त चरित्र प्रमाण-पत्र (6 माह से पुराने नहीं हो
10. अन्य मूल दस्तावेज।

निर्धारित दिनांक तक आप अपने दस्तावेजों के साथ उपस्थित नहीं होते है तो आपके दस्तावेज प्रशासनिक सुधार (अनुभाग-3) विभाग, जयपुर को लौटा दिये जावेंगे।

जिला कलक्टर झुंझुनू

दिनांक : 29.5.20

क्रमांक:सम/13/ 504

प्रतिलिपि:-निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. प्रमुख, शासन उप सचिव प्रशासनिक सुधार (अनु-3) राजस्थान, जयपुर।
2. उपनिदेशक, सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग झुंझुनू को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
3. जिला सूचना एवं जन सम्पर्क अधिकारी झुंझुनू।

जिला कलक्टर झुंझुनू

22/5/2020

622